

७३४६ | ४५ - २८/१०/२०२३



कायलिय
अधिकारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिंग
57-जार्ज टाउन, प्रयागराज

फोन नं० - ०५३२-२२५६२७१
फैक्स नं० - ०५३२-२२५६२७१
ई-मेल -
edd_2ald@yahoo.in

CIN-U31200UP2003SGC027461

फ़ाक़्ट : १९५७ /विभिन्न मित्रों के द्वारा

दिनांक : ०५/३/२०२३

संग्रहीत : गोपीनाथ

उपकरण : वाटररोप

विषय - निजी नलकूप तथा पंखा - इतनी प्राप्त करने हेतु शर्त दराएँ।

संग्रहीत

श्री दीपिंदु बुगार बुरुषाहा

आगज श्री वकील

ग्राम - बीमा डाकघर

ब्लॉक - गोपीनाथ

जनपद-प्रयागराज

महोदय

बीमा

संसाधार

आपके आवेदन पत्र दिनांक के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिये ०३ अक्टूबर के लिये १२० वाट की स्वीकृति दिनांक को प्रदान कर दी गयी है।

अतः कनेक्शन के सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित शर्तें शाहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है-

- सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० २२५०.००
- प्रतिनूति के रूप में निजी नलकूप रु० १००.०० पंखा-बत्ती रु० X कुल रु० १००.००
- आपको नलकूप के कनेक्शन देने हेतु X रूपये का व्यय भार कारपोरेशन को वहन करना होगा, जबकि कारपोरेशन द्वारा इस माह से रूपये X की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यदि आप बढ़ता रूपये को जमा कर देते हैं तो वह ०५ वर्ष बाद एक साथ तथा अगले १० छमाही किस्तों में ०५ वर्षों में ०६ प्रतिशत दार्येक व्याज सहित वापस कर दिया जायेगा।
- आपको कनेक्शन के लिये कारपोरेशन द्वारा निर्धारित ३०० मीटर से अधिक लाइन पड़ने के कारण न्यूनतम धन जमा करना होगा, जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- नीटर निरीक्षक शुल्क के शासकीय कोष में ०४३ विद्युत पर कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क रूपये ३००.०० जमा करना होगा।
- आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं सम्बन्धित ३३/११ के लिये विद्युत उपस्थान X से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई करना होगा। सामान दुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर्थ श्रमिक जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुल्कर देगा।
- आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध करना पड़ता है, अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन एवं कनेक्शन हेतु ही देय होगी।
- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको वहन (प्रबन्ध) करना पड़ेगा।
- यदि आप द्वारा लगाया गया कोई भी प्रपत्र असत्य (जाली/कूट) पाया जाता है तो आपका संयोजन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

नोट :-

- क्रम संख्या ६-७ तथा ८ के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च आपको इस्टीमेट से कम कर दिया जायेगा/गया है तथा यह शर्त १८०.०० रूपये प्रतिमीटर की दर से बढ़ा करके रु० २०५.०० प्रति मीटर के दर से दी गई है।

फिक्स चार्ज - १३५०.००

प्रतिमूलि - १००.००

लाइन चार्ज -

सबस्टेशन चार्ज -

योग - २२५०.००